

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 342/2024

अनवान :

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामदीप सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. बलतेज सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महेश कुमार गौड़

:-वादीगण


2 अधिवक्ता श्री भंवरलाल गौड़

:-प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 28/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महेश कुमार गौड़ व श्री भंवरलाल वकील प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 1 एनडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के संयुक्त खाता में खाता संख्या 7/8 में कुल 1.405 है० कमाण्ड मय गै०मु० आराजी में प्रतिवादी बलतेज सिंह के 1/12 हिस्सा, चक नम्बर 5 जीजीआर के खाता सं० 72/69 में कुल अंकित 0.443 है० आराजी में प्रतिवादी बलतेजसिंह के 1/12 हिस्सा, चक नम्बर 9 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 6/21 में कुल 1.265 है० आराजी में प्रतिवादी बलतेजसिंह के 1/12 हिस्सा, चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 164/75 में कुल अंकित 3.289 है० आराजी में प्रतिवादी बलतेजसिंह के 16/3289 हिस्सा, इसी चक 8 एस.एल.डबल्यू के खाता सं० 161/68 में कुल अंकित 8.223 है० नहरी मय गै०मु० आराजी में प्रतिवादी बलतेजसिंह के 1/12 हिस्सा, इसी चक 8 एस.एल.डबल्यू के खाता सं० 160/54 में कुल अंकित 3.795 है० आराजी में प्रतिवादी बलतेजसिंह के 1/48 हिस्सा की आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के




28/11/24

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० १ एनजीआर के खाता सं० ७/८, चकनं० ५ जीजीआर के खाता सं० ७२/६९, चकनं० ९ एस.एल.डबल्यू के खाता सं० ६/२१, चकनं० ८ एस.एल.डबल्यू के खाता सं० १६४/७६, इसी चक के खाता सं० १६१/६८, इसी चक ८ एस.एल.डबल्यू के खाता सं० १६०/६४ में से प्रतिवादी बलदेवसिंह का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आवेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल वसगद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक २८/११/२५ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी